

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर

क्रमांक:-मअ/संस्थापन/2022-2023/1227

दिनांक 21/4/22

निमित्त:-

निदेशक महोदय,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

- विषय:- विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा मानदेय आधारित साथिन के रिक्त पदों का विज्ञापन कोई भी एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के अजमेर संस्करण में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अनुमोदित दरों पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाये जाने का कष्ट करावें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

उप निदेशक
महिला अधिकारिता
अजमेर ।


कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर

क्रमांक:-मअ/संस्थापन/2022-2023/1228

दिनांक 21/4/22

विज्ञप्ति संख्या 01/2022-2023

जिले की पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में महिला अधिकारिता के अधीन महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा आधारित रिक्त पदों हेतु इच्छुक एवं पात्र व योग्य विवाहित महिला से आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2022 को सांय: 05:00 बजे तक आवेदन पत्र डाक/व्यक्तिशः/वाहक के माध्यम से इस कार्यालय में (लोक सेवा आयोग के भवन के पास,ग्राम बंदिया,जयपुर रोड़,अजमेर) प्रस्तुत किये जाते सकते है । ग्राम पंचायत वार रिक्त साथिन के मानदेय सेवा आधारित पदों का विवरण,आवेदन पत्र व इससे संबंधित विभागीय परिपत्र/आदेश/पत्र/ दिनांक 05.07.2017, 04.09.2019, 05.10.2020, 28.10.2020, 17.12.2020, 16.07.2021 विभागीय बेवसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं इस कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना,समेकित बाल विकास सेवाएँ कार्यालय/प्रचेता/सुपरवाईजर के समक्ष उपस्थित होकर देखे जा सकते है ।


उप निदेशक
महिला अधिकारिता
अजमेर ।

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर

क्रमांक:-मअ/संस्थापन/2022-2023/1229

दिनांक 21/4/22


विज्ञप्ति संख्या 01/2022-2023

जिले की पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में महिला अधिकारिता के अधीन महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा आधारित रिक्त पदों हेतु इच्छुक एवं पात्र व योग्य विवाहित महिला से आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2022 को सांय: 05:00 बजे तक आवेदन पत्र डाक/व्यक्तिश:/वाहक के माध्यम से इस कार्यालय में (लोक सेवा आयोग के भवन के पास,ग्राम बंदिया,जयपुर रोड़,अजमेर) प्रस्तुत किये जाते सकते है । ग्राम पंचायत वार रिक्त साथिन के मानदेय सेवा आधारित पदों का विवरण,आवेदन पत्र व इससे संबंधित विभागीय परिपत्र/आदेश/पत्र/ दिनांक 05.07.2017,04.09.2019,,05.10.2020,28.10.2020,17.12.2020,16.07.2021 विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं इस कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना,समेकित बाल विकास सेवाएँ कार्यालय में उपस्थित होकर देखे जा सकते है ।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम व ई-मेल आई.डी.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर ई-मेल आई.डी. - ajmer.we@rajasthan.gov.in	अजमेरग्रामीण	1. कडैल 2. उटडा 3. कायमपुरा 4. देवनगर
2.		सरवाड़	1. बिडला 2. चांदमा 3. जोताया 4. कल्याणपुरा 5. सदापुर
3.		मसूदा	1. श्यामगढ 2. लोढियाना 3. झाक
4.		जवाजा	1. गोविंदपुरा 2. सातुखेडा
5.		किशनगढ़ग्रीण	1. अमरपुरा 2. मोतीपुरा 3. भिलावट
6.		सांवर	1. कालेड़ाकंवरजी 2. भाण्डावास

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला का जिस ग्राम पंचायत के लिये चयन हो रहा है, उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिये।
- साथिन हेतु न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन की आयु 21-35 वर्ष। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के लिये 21-45 वर्ष होना आवश्यक है।
- आवेदन प्रपत्र उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर कार्यालय(लोक सेवा आयोग के भवन के पास,ग्राम बंदिया,जयपुर रोड़,अजमेर) अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय संबंधित या विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- योग्य अभ्यर्थी अपने पूर्ण भरे आवेदन पत्र को कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर में व्यक्तिश:/डाक/वाहक के माध्यम से अंतिम तिथि दिनांक 13.05.2022 को सांय 05 बजे तक जमा करा सकेगी।

6. इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर एवं विभागीय वेबसाईड एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
7. आवेदन पत्र के साथ विहित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न किये जावे जो कि आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट हो। साथ ही सभी दस्तावेज प्रमाणित हो।
8. एक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें संशोधन अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
9. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर में व्यक्तिशः /वाहक एवं डाक के माध्यम से दिनांक 13.05.2022 को सांयः 05:00 बजे तक इस कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर में (लोक सेवा आयोग के भवन के पास, ग्राम बंदिया, जयपुर रोड़, अजमेर) जमा करा सकेगी
10. 10साथिन राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवा कर्मी है। इनके द्वारा ग्राम पंचायत पर दी जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें मानदेय का भुगतान किया जावेगा। ये पूणतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता होगी।
11. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी (एस.एसी/एस.टी/ओ.बी.सी/अल्पसंख्यक/सामान्य), विशेष योग्यता (आर.एस.सी.आई.टी. का प्रशिक्षण यदि हो तो) कार्यानुभव, बीपीएल, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा संबंधी यदि दस्तावेज हो तो संलग्न किये जावें।
12. मानदेय सेवा आधारित चयन प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देशों यथा दिनांक 05.07.2017 व 04.09.2019, 05.10.2020, 28.10.2020, 17.12.2020, 16.07.2021 एवं विभाग द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जावेगी।


 उप निदेशक
 महिला अधिकारिता विभाग
 अजमेर


कमांक:-मअ/संस्थापन/2022-2023/1280-51

दिनांक:- 21/4/22

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. आयुक्त महोदया, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक महोदया, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
03. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, अजमेर।
04. जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।

05. मुख्यकार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, अजमेर ।
06. विकास अधिकारी पंचायत समिति, अरांई, मसूदा, भिनाय, जवाजा, पीसागंन, किशनगढ़ग्रामीण, श्रीनगर, केकड़ी, सरवाड़, सांवर, अजमेरग्रामीण – जिला – अजमेर ।
07. प्रोग्रामर, आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक 22430 दिनांक 05.07.2017, 04.09.2019, 05.10.2020, 28.10.2020, 17.12.2020, 16.07.2021 को संलग्न करते हुये विभागीय वेबसाईड पर जारी करावें ।
08. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त परियोजना, जिला अजमेर ।
09. प्रचेता / महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता समस्त ।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।


उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
अजमेर